

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

05/03/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक प्रधान रवि चन्द्र सावैयाँ, पिता-स्व० जुरिया सावैयाँ, ग्राम-गितिलपी, टोला-हेस्साबासा, थाना-मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-मतकमहातु, थाना संख्या-642, खाता संख्या-137, प्लॉट संख्या-1376, रकवा-0.12 $\frac{1}{2}$  एकड़ भूमि क्रेता राम सिंक्, पिता-स्व० जेना सिंक्, ग्राम-मतकमहातु, थाना-मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम से हालसर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-63, दिनांक-27.01.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने एवं अन्य घरेलू कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता राम सिंक्, पिता-स्व० जेना सिंक्, ग्राम-मतकमहातु, थाना-मुफसिल के पास 17,00,000.00/- (सत्रह लाख) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफसिल के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक प्रधान रवि चन्द्र सावैयाँ, पिता-स्व० जुरिया सावैयाँ, ग्राम-गितिलपी, टोला-हेस्साबासा, थाना-मुफसिल, क्रेता राम सिंक्, पिता-स्व० जेना सिंक्, ग्राम-मतकमहातु, थाना-मुफसिल के पास 17,00,000.00/- (सत्रह लाख) रुपये में मौजा-मतकमहातु, थाना संख्या-642, खाता संख्या-137, प्लॉट संख्या-1376, रकवा-0.12 $\frac{1}{2}$  एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।